सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 4181 / 1014 / 2015 दिनांकः– 09.01.2017

के मामले में:

श्री दिलीप कुमार,
पुत्र श्री सुरेश प्रसाद शाह,
ग्राम – कुतुबपुर डिघड़ा,
थाना – बिहपुर, जिला – वैशाली,
बिहार – 844503 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

रेलवे भर्ती सैल,
द्वारा – अध्यक्ष,
लाजपत नगर – I,
नई दिल्ली – 110024 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 25.11.2016

उपस्थितः
1. शिकायतकर्ता अनुपस्थित।
2. श्री एस. एस. राणा, एपीओ / आरआरसी, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 50 प्रतिशत दृष्टिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत भर्ती से संबंधित दिनांक रहित शिकायत इस न्यायालय में प्रस्तुत की जोकि इस न्यायालय में दिनांक 29.04.2015 को प्राप्त हुई ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उत्तर रेलवे भर्ती सेल, नई दिल्ली के रोजगार विज्ञापन दिनांक 30.08.2012 के तहत ओबीसी–पीडब्ल्यूडी–वीएच समुदाय से उनकी चिकित्सा व सत्यापन दिनांक 19.05.2014 को कराया गया लेकिन अध्यक्ष ने केवल अल्प दृष्टि वाले उम्मीदवारों को ही इसके लिए चयन किया लेकिन इसके खिलाफ दो अभ्यर्थियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय मे याचिका फाइल की । दिल्ली उच्च न्यायालय के विनिश्चय के तहत दोबारा से चयन सूची जारी की गई । दोबारा से चयन सूची के अनुसार अधिकतर वैसे अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हुआ है जिन्होंने सह–लेखक (स्काइब) लिया हुआ था लेकिन रेलवे के नियमानुसार सह–लेखक की शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी से कम होनी चाहिए । अगर ऐसा नहीं है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

.....2 / –

अब जो परिणाम जारी हुआ है उसमें से वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्क्राइब ले रखा है, वे सारे उच्चतर योग्यता वाले हैं । रेलवे भर्ती सेल, लाजपत नगर, नई दिल्ली ने बिना स्क्राइब की जांच किए जो परिणाम जारी किया है, उसमें संशोधन नहीं कर रहा है जिसके कारण सही अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और फर्जी लोगों को ही चयनित किया गया है । अतः जब तक सारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक परिशोधित प्रोविजनल परिणाम वालों का चिकित्सा और सत्यापन न कराया जाए ।

3. उक्त मामला प्रतिवादी उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 26.06.2015 द्वारा उठाया गया ।

4. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती सैल, लाजपत नगर, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 08.07.2015 द्वारा निवेदन किया कि रेल मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 18.10.2013 द्वारा पैरा 22(ii)(ख) को पहले ही विलोपित कर दिया है जोकि इस प्रकार हैः–

> "Pursuant to advice of the Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities, in Case No. 389/1041/2013 dated 13.09.2013 that criteria like education qualification, marks secured, age or other such restriction for the scribe should not be fixed and instead, the invigilation system should be strengthened so that the candidates using scribe do not indulge in malpractices like copying and cheating during the examination, it has been decided by the Board to delete para 27(ii)(b) of the Ministry's letter of even number dated 17.09.2007."

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 08.07.2015 की प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 06.8.2015 द्वारा उनके टिप्पण/रिज्वाइंडर हेतु भेजी गई थी ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने टिप्पण/रिज्वाइंडर जोकि इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2015 एवं 27.08.2015 को प्राप्त हुए, द्वारा निवेदन किया है कि वह प्रतिवादी के जवाब से असंतुष्ट है । रेलवे द्वारा इस विषय में कहा गया कि स्क्राइब की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है परन्तु स्क्राइब वाले फार्म यह साफ तौर पर दर्शाया गया है कि स्क्राइब की योग्यता अंडर मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और उस फार्म में स्क्राइब का अंडर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी मांगा गया था लेकिन रेलवे बोर्ड ने यह नहीं किया केवल पहचान पत्र की प्रति ली है । रेलवे का कहना है कि उनका इन्वीजिलेशन मजबूत था लेकिन रेलवे द्वारा किया गया यह दावा भी झूठा है क्योंकि नियमों के अनुसार स्क्राइब

.....3/–

और अभ्यर्थी के लिए एक अलग से इन्वीजिलेटर होता है क्योंकि उनके बीच होने वाले वार्तालाप को स्पष्ट रूप से सुन सके लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं खुद इसका प्रत्यक्ष रूप से गवाह हूं। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर गौर करते हुए इसके संबंध में रेलवे भर्ती सैल, लापत नगर, नई दिल्ली को जिन्होंने वैसे स्काइब को लिया है जिनकी योग्यता अन्डर मैट्रिक से उपर पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए फिरसे मैरिट जारी की जाए ।

7. शिकायतकर्ता की ओर से दिनांक 25.11.2016 को सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के पत्र दिनांक 16.09.2016 स्पीड डाक द्वारा भेजी गई थी । शिकायतकर्ता की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है ।

8. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी से उच्च योग्यता रखने वाले स्काइब को दी गई अनुमति से संबंधित है । रेल मंत्रालय के पत्र संख्या EN(G)-II/2006/RC-2/13 दिनांक 18.10.2013 द्वारा परिचालित नियमों के अधीन, जिनमें यह निर्देश दिया गया है कि स्काइब के लिए ऐसे मानदंड जैसे कि शैक्षिक योग्यता, प्राप्त अंक, आयु अथवा अन्य ऐसे प्रतिबंध निर्धारित न किए जाएं इसके बजाय अन्वीक्षण प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि स्काइब परीक्षा के दौरान नकल करने और जालसाजी करने जैसे कदाचारों में लिप्त न हों । यह आदेश इस न्यायालय के मामला संख्या 389/1041/2013 दिनांक 13.09.2013 के संदर्भ में जारी किया गया है । शिकायतकर्ता के इस मामले में रेलवे भर्ती सैल, नई दिल्ली द्वारा उत्तर दिया जा चुका है और इस मामले में कोई सार प्रतीत नहीं होता और यह निवेदन है कि उनके कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई नियमों और अनुदेशों के अनुरूप है ।

9. मामले में प्रतिवादी के प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख पर उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का यह मत है कि इस मामले में प्रतिवादी द्वारा विकलांगजन अधिनियम की किसी धारा अथवा सरकारी दिशा–निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । अतः प्रतिवादी को कोई निर्देश दिए बिना यह मामला बन्द किया जाता है ।

कमलेश कुमार

(कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन